



वेदांता लिमिटेड

सामग्री सहायक कंपनियों पर नीति

दस्तावेज़ का नाम	सामग्री सहायक कंपनियों पर नीति
कंपनी	वेदांता लिमिटेड
द्वारा तैयार	कॉर्पोरेट सचिवीय
पर संशोधित	मई 07, 2019

परिचय

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, (सेबी लिस्टिंग विनियम) के लिए सभी सूचीबद्ध कंपनियों को एक नीति तैयार करने की आवश्यकता है 'सामग्री' सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए।

उद्देश्य

इस नीति का उपयोग सामग्री सहायक और सामग्री गैर-सूचीबद्ध भारतीय का निर्धारण करने के लिए किया जाएगा कंपनी की सहायक कंपनी और ऐसी सहायक कंपनियों के लिए शासन ढांचा प्रदान करना।

इस नीति में प्रयुक्त सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जब तक कि इसके बाद परिभाषित न किया गया हो, अर्थ होगा क्रमशः सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत और इसके अभाव में उन्हें सौंपा गया है कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों, अधिसूचनाओं के अनुसार उसमें परिभाषा या स्पष्टीकरण और उसके अंतर्गत समय-समय पर संशोधित किए गए/जारी किए गए परिपत्र।

लेखापरीक्षा समिति समय-समय पर नीति की समीक्षा करेगी और समय-समय पर उसमें संशोधन कर सकती है समय, जैसा आवश्यक समझा जा सकता है

परिभाषाएं

मटेरियल सब्सिडियरी का मतलब एक सहायक कंपनी होगी, जिसकी आय या निवल मूल्य /दस/ प्रतिशत . से अधिक है में सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों की क्रमशः समेकित आय या निवल मूल्य लेखा वर्ष के ठीक पहले।

सामग्री गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक का अर्थ भारत में निगमित एक असूचीबद्ध सहायक कंपनी से होगा, जिनकी आय या निवल संपत्ति समेकित आय या निवल मूल्य के /दस/ प्रतिशत से अधिक है तुरंत पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों के क्रमशः।

महत्वपूर्ण लेनदेन या व्यवस्था का मतलब किसी भी व्यक्तिगत लेनदेन या व्यवस्था से होगा जो कुल राजस्व या कुल व्यय या कुल संपत्ति के दस प्रतिशत से अधिक या अधिक होने की संभावना है या कुल देनदारियां, जैसा भी मामला हो, असूचीबद्ध सहायक कंपनी की तत्काल पूर्ववर्ती के लिए लेखा वर्ष।

सहायक कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत परिभाषित होगी इसमें कोई संशोधन भी शामिल है।

नीति और प्रक्रिया

कंपनी की लेखा परीक्षा समिति वित्तीय विवरणों की समीक्षा करेगी, में विशेष रूप से, असूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए निवेश;

असूचीबद्ध अनुषंगी के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त होंगे सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल की बैठक में रखा गया;

असूचीबद्ध अनुषंगी का प्रबंधन समय-समय पर इसके संज्ञान में लाएगा सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल, सभी महत्वपूर्ण लेनदेन का विवरण और असूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा की गई व्यवस्था;

सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक एक होना चाहिए एक असूचीबद्ध सामग्री सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक, चाहे भारत में निगमित है या नहीं;

इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, "भौतिक सहायक" का अर्थ एक सहायक कंपनी होगा, जिसका आय या निवल मूल्य समेकित आय या निवल मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक है क्रमशः, सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों के ठीक पूर्ववर्ती में लेखा वर्ष।

- > कंपनी अपनी सामग्री सहायक कंपनी में शेयरों का निपटान नहीं करेगी जिसके परिणामस्वरूप कमी होगी इसकी शेयरधारिता (या तो स्वयं या अन्य सहायक कंपनियों के साथ) से कम तक पचास प्रतिशत या एक पारित किए बिना सहायक पर नियंत्रण का प्रयोग बंद कर दें ऐसे मामलों को छोड़कर जहां इस तरह का विनिवेश किया जाता है, को छोड़कर इसकी आम बैठक में विशेष संक किसी न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था की एक योजना के तहत, या एक के तहत दिवाला संहिता की धारा 31 के तहत विधिवत अनुमोदित समाधान योजना और ऐसे संकल्प के एक दिन के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को घटना का खुलासा किया जाता है योजना को मंजूरी दी जा रही है।

बीस प्रतिशत से अधिक की संपत्ति की बिक्री, निपटान और पट्टे पर देना एक वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र आधार पर सामग्री सहायक की संपत्ति विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जब तक कि बिक्री/निपटान/पट्टा ए . द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था की एक योजना के तहत किया जाता है कोर्ट/ट्रिब्यूनल, या एक संकल्प योजना के तहत विधिवत रूप से धारा 31 के तहत अनुमोदित दिवाला संहिता और इस तरह की घटना को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के भीतर प्रकट किया जाता है संकल्प योजना के स्वीकृत होने का एक दिन।

जहां कंपनी की एक सूचीबद्ध सहायक कंपनी है, जो स्वयं एक होल्डिंग कंपनी है, वहां इस विनियम के प्रावधान सूचीबद्ध सहायक कंपनी पर लागू होंगे, जहां तक इसकी सहायक कंपनियां चिंतित हैं।

भारत में निगमित कंपनी और उसकी सामग्री असूचीबद्ध सहायक कंपनियां सचिवीय लेखा परीक्षा करेगा और अपनी वार्षिक रिपोर्ट, एक सचिवीय लेखा परीक्षा के साथ संलग्न करेगा रिपोर्ट, एक कंपनी सचिव द्वारा व्यवहार में, इस तरह के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है सेबी

- > कंपनी सहायक कंपनियों के संबंध में सभी घटनाओं या सूचनाओं का खुलासा करेगी जो सूचीबद्ध इकाई के लिए सामग्री हैं।

खुलासे

नीति को वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा और कॉर्पोरेट में वेबलिंक प्रदान किया जाएगा शासन रिपोर्ट।

सीमा और संशोधन

इस नीति के प्रावधानों के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, जैसा कि आवश्यक है: कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी लिस्टिंग विनियम, या कोई अन्य वैधानिक अधिनियम, नियम, इस तरह के अधिनियम या लिस्टिंग समझौते या वैधानिक अधिनियमों के प्रावधान, नियम लागू होंगे यह नीति। लिस्टिंग समझौते, अधिनियम और/या में बाद में कोई भी संशोधन / संशोधन इस संबंध में लागू कानून स्वतः ही इस नीति पर लागू होंगे।